eISSN 3139-2377

RESEARCH WORK

A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal

Volume 02, Issue 04, April 2026

विकसित भारत @ 2047 : लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की रणनीति

डॉ0 प्रीती द्विवेदी[1], सुशील कुमार अग्निहोत्री[2]

[1]एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग), महिला महाविद्यालय पी0जी0 कॉलेज, कानपुर

[2]शोधकर्ता– समाजशास्त्र विभाग, महिला महाविद्यालय पी0जी0 कॉलेज, कानपुर

Received: 20 April 2026, Accepted & Reviewed: 25 April 2026, Published: 30 April 2026

Abstract

विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक समानता, पर्यावरण स्थिरता और सुशासन जैसे कई पहलू शामिल हैं। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य आर्थिक विकास और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। भारत का सपना 2047 तक एक विकसित और आत्म निर्भर राष्ट्र बनने का है, जब हमारी आजादी के 100 वर्ष पूर होंगे। इसके लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लक्ष्य निर्धारित किए हैं, इनमें से एक महत्वपूर्ण लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि करना है। भारत का लक्ष्य अपने ''विकसित भारत @ 2047'' विजन के तहत 2047 तक अपनी जी0डी0पी0 को 3.4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर 30 ट्रिलियन डॉलर करना है। इसके अतिरिक्त सरकार ने सतत् विकास लक्ष्य भी अपनायें हैं, जिसमें गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन से निपटना आदि शामिल है। भारत के प्रधानमंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) ने 77वें स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2023) के अवसर पर देश को सम्बोधित करते हुए घोषणा की थी कि वर्ष 2047 तक, जो भारत की स्वतंत्रता का 100वाँ वर्ष होगा, भारत विकसित देश का दर्जा प्राप्त कर लेगा।

लैंगिक समानता का अर्थ है कि महिलाओं, पुरूषों और अन्य लिंगों के सभी लोगों को जीवन के हर क्षेत्र में समान अधिकार, अवसर और व्यवहार सुनिश्चित करना, इसमें शिक्षा, आर्थिक भागीदारी और संसाधनों तक समान पहुंच शामिल है। लैंगिक समानता एक मुख्य मानवाधिकार है। वैश्विक स्तर पर, लैंगिक समानता हासिल करने के लिए महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना भी जरूरी है, जिसमें महिला हत्या, यौन तस्करी, युद्धकालीन यौन हिंसा, लैंगिक वेतन अन्तर और अन्य उत्पीड़न की रणनीतियाँ शामिल हैं। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि महिलाओं को शक्तिशाली बनाना। इसका तात्पर्य यह है कि महिलाएँ समाज में शक्तिहीन हैं, इसलिए इन्हें शक्तिशाली बनाना। भारतीय सन्दर्भ में महिलाओं को पुरूषों की बराबरी पर लाना। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता, पिछले दशकों में सम्पूर्ण विश्व ने महसूस किया। महिला सशक्तिकरण की पहल सन् 1985 में महिला अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, नैरोबी में की गयी। महिला सशक्तिकरण से आशय उन सामान्य अर्थों से लगाया जाता है जो अपनी क्षमताओं और शक्तियों का पूर्ण रूप से उपयोग कर सके, जिसमें वे स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में आ जायें, ये स्थिति प्रत्येक क्षेत्र में हो सकती है।

स्त्री आज के बदलते परिवेश में जिस तरह पुरूष वर्ग के साथ कंधे से कंधे मिलाकर प्रगति की ओर अग्रसर हो रही है, वह समाज के लिए एक गर्व और सराहना की बात है, विश्व भर की महिलाओं की स्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने वर्ष 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष (International Women Year 1975) घोषित किया था। पितृसत्तात्मक मानसिकता

के चलते भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज हत्या, यौन शोषण, यौन हिंसा और अनैतिक देह व्यापार जैसे अत्याचार हमारे समाज में अवरोध पैदा कर रहे हैं।

मुख्य शब्द– महिला, पुरूष, लैंगिक समानता, सशक्तिकरण, भेदभाव, शैक्षिक स्तर, सामाजिक–आर्थिक स्तर, भारत

Introduction

किसी समाज में जब लिंग के आधार पर स्त्री और पुरूषों में भेदभाव नहीं किया जाता है तब सामान्य शब्दों में इस दशा को लैंगिक समानता कहते हैं। लैंगिक समानता शब्द का प्रयोग जैविकीय तथा सामाजिक दोनों अर्थों में किया जाता है। जीव विज्ञान के अनुसार लिंग (Sex) का तात्पर्य एक विशेष जैविकीय रचना से है, जिसमें कुछ विशेष प्रकार की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का समावेश होता है। इस दृष्टिकोण से लैंगिक सामनता का अर्थ उन सामाजिक मूल्यों एवं मानदण्डों से है, जो सांस्कृतिक आधार पर स्त्रियों और पुरूषों में से दोनो को एक समान मानते हुए उन्हें वैवाहिक, पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में अधिकार देते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से लैंगिक समानता वह दशा है जिसमें पांच प्रमुख आधारों पर पुरूष तथा महिला द्वारा एक समान व्यवहार किया जाता हैं यह आधार इस प्रकार प्रस्तुत है–

i) पारिवारिक एवं सामाजिक निर्णयों में महिला पुरूष की समान भूमिका।
ii) स्त्री पुरूष को प्राप्त सामाजिक सहभागिता के समान अवसर।
iii) व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक समान स्वतंत्रता।
iv) महिला एवं पुरूष के प्रति मनोवृत्तियों तथा वास्तविक व्यवहार एक समान हों।
v) राजनीतिक जीवन में स्त्री एवं पुरूष के एक समान अधिकार।

लैंगिक समानता को अन्य नामों से भी जाना जाता है– जैसे–लैंगिक समतावाद, लिंगों की समानता। लैंगिक समानता का तात्पर्य समान अवसरों या लिंग के आधार पर औपचारिक समानता से हो सकता है, अथवा समान प्रतिनिधित्व या लिंग के परिणामों की समानता से भी हो सकता है जिसे वास्तविक समानता भी कहा जाता है। लैंगिक समानता लक्ष्य है, जबकि लैंगिक तटस्थता और लैंगिक समानता ऐसी प्रथाएँ और सोचने के तरीके हैं जो लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करते हैं। लैंगिक समानता जिसका उपयोग किसी निश्चित स्थिति में लैगिक सन्तुलन को मापने के लिए किया जाता है, वास्तविक लैंगिक समानता प्राप्त करने में सहायता कर सकती है, लेकिन यह अपने आप में लक्ष्य नहीं है। लैंगिक समानता महिलाओं के अधिकारों से दृढ़ता से जुड़ी हुई है और अक्सर इसके लिए नीतिगत बदलाव की आवश्यकता है। लैंगिक समानता एक तकनीकी अभ्यास से कहीं अधिक, पुरूषों और महिलाओं, लड़कियों और लड़कों के बीच समान वितरण के बीच बढ़ावा देने वाले दृष्टिकोण और नीतिगत फैसलों को आकार देने का एक राजनीतिक रूप से जटिल प्रयास है। यह देखने का एक तरीका है कि सामाजिक मानदण्ड और सत्ता संरचनाएँ पुरूषों और महिलाओं के विभिन्न समूहों और उपलब्ध अवसरों को कैसे प्रभावित करती हैं। यह समझना कि पुरूष और महिलाएँ, लड़के और लड़कियों, गरीबी का अलग–अलग अनुभव करते हैं, और सेवाओं, आर्थिक संसाधनों और राजनीतिक अवसरों तक पहुंचने में अलग–अलग बाधाओं का सामना करते हैं, हस्तक्षेपों को लक्षित करने में सहायता करता है। वास्तविकता के रूप में देखा जाए तो लैंगिक भूमिकाएँ और रिश्ते निश्चित नहीं हैं ; वे परिस्थितयों के आधार पर विकसित होते हैं। सतत् विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाने और

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 04, April 2026

2030 के एजेण्डो को हासिल करने के लिए लैंगिक असमानता को कार्यक्रमों और विश्लेषण में सबसे आगे लाया जाना चाहिए। सभी सतत् विकास लक्ष्यों में तेज प्रगति सार्वजनिक नीतियों में लैंगिक आयामों को पूर्ण एकीकरण पर निर्भर करेगी।

वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता हासिल करने के लिए महिलाओं व लड़कियों के खिलाफ हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना भी जरूरी है। आधुनिक युग में महिलाओं की अनेक रूढ़िवादी तथा असमानतावादी अव्यवस्थाओं से मुक्ति मिल चुकी है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि स्त्रियों की स्थिति पूर्णतया पुरूषों के समान बन गयी है, केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग सभी समाजों की सामाजिक व्यवस्था आज भी पुरूष प्रधान है तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को व्यहारिक रूप से वे अधिकार नहीं मिल सके, जो पुरूषों को प्राप्त हो रहे हैं। एक लम्बे समय तक विश्व के विभिन्न भागों में जैविकीय, मनोवैज्ञानिक तथा धार्मिक आधार पर स्त्रियों को यह समझाया जाता रहा है कि स्त्री पुरूष का अन्तर एक प्राकृतिक सत्य है, पुरूषों के संरक्षण में ही उसका जीवन सुरक्षित रह जाता है। यूरोप में सामन्तवादी व्यवस्था के टूटने के बाद जब औद्योगिक युग की शुरूआत हुई, तब एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था विकसित होने लगी, जिसमें महिलाओं ने पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए व्यापक आन्दोलन शुरू कर दिए। भारत में भी पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से अनेक जागरूक स्त्रियों ने समानता के अधिकारों की मांग करनी शुरू कर दी। धीरे–धीरे शिक्षा में वृद्धि, राजनैतिक सहभागिता एवं साामजिक जागरूकता बढ़ाने के साथ स्त्री–पुरूष के बीच समानता की मांग ने एक आन्दोलन का रूप ले लिया। प्रारम्भ में ये आन्दोलन कीमतों में वृद्धि, राजनीति अधिकारों तथा सार्वजनिक सुविधाओं जैसे विषयों तक ही सीमित रहे, बाद में ऐसे आन्दोलन में ''नारी मुक्ति आन्दोलन'' का रूप लेकर पुरूषों की पूर्ण समानता की मांग को अपना उद्देश्य बना लिया।

<u>**लैंगिक समानता की अवधारण एवं अर्थ :–**</u> लैंगिक समानता का तात्पर्य समान अवसरों या लिंग के आधार पर औपचारिक समानता से हो सकता है, लैंगिक समानता के अन्तर्गत महिलाओं, पुरूषों और अन्य लिंगों के सभी लोगों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार, अवसर और व्यवहार सुनिश्चित करना। इसमें शिक्षा, आर्थिक भागीदारी और संसाधनों तक समान पहुंच शामिल है लेकिन समानता का तात्पर्य यह है कि महिलाओं, पुरूषों, ट्रांस लोगों और लिंग–विविध लोगों के अधिकार, जिम्मेदारियां और अवसर जन्म के समय निर्धारित उनके लिंग पर नहीं होंगे। लेकिन समानता के अन्तर्गत निष्पक्षता की प्रक्रिया जिसमें पुरूषों और महिलाओं, और सभी लिंगों के प्रति समान व्यवहार किया जाता है। परिणाम स्वरूप सभी को स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसरों तक समान पहुंच प्राप्त होती है। लेकिन समानता एक मुख्य मानवाधिकार है जो लिंग की परवाह किये बिना सभी के लिये उचित उपचार, अवसर और स्थिति की गारण्टी देता है। यह इस विचार का समर्थन करता है कि पुरूष और महिलाओं दोंनों को उनकी समानताओं और मतभेदों के लिए समान रूप से महत्व दिया जाता है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करता है। समानता प्राप्त करने का अर्थ लिंगों के बीच के अन्तर को मिटाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जीवन में भूमिकायें, अधिकार और अवसर इस बात से तय न हों कि कोई पुरूष है या महिला।

संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी "UNICEF" (यूनिसेफ) ने लैंगिक समानता की परिभाषा इस प्रकार के प्रस्तुत की है :–''महिलायें और पुरूष, तथा लड़कियों और लड़के, समान अधिकारों, संसाधनों, अवसरों और

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 04, April 2026

सुरक्षा का आनन्द लेते हैं। इसके लिये ये आवश्यक नहीं है कि लड़कियों और लड़के या महिलायें और पुरूष एक जैसे हों, या उनके साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार किया जाये।'' सन् 2017 तक लैंगिक समानता संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत् विकास लक्ष्यों (SDG-5) में से 5वाँ लक्ष्य है, लेकिन समानता में महिलाओं और पुरूषों के अलावा लिंगों के प्रस्ताव, या लैंगिक द्विआधारी के बाहर लैंगिक पहचान को शामिल नहीं किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव रिपोर्ट द्वारा लैंगिक असमानता को प्रतिवर्ष मापा जाता है। लैंगिक समानता महिलाओं के अधिकारों से दृढ़ता से जुड़ी हुई है और अक्सर इसके लिए नीतिगत परिवर्तन की आवश्यकता होती है।

भारतवर्ष में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ विभिन्न कुप्रथाओं को जड़ से समाप्त करना भी आवश्यक है ; जिसमें अपहरण, महिला हत्या, यौन तस्करी, युद्धकालीन यौन हिंसा, लैंगिक वेतन अन्तर और अन्य प्रकार के उत्पीड़न की रणनीतियाँ शामिल है। UNFPA ने कहा कि ''अपने मानवाधिकार की पुष्टि करने वाले कई अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के बावजूद महिलाओं के गरीब और निरक्षर होने की सम्भावना पुरूषों की तुलना में बहुत अधिक है। उनके पास सम्पत्ति के स्वामित्व, क्रेडिट, प्रशिक्षण और रोजगार तक कम पहुँच है। ये आंशिक रूप से महिलाओं के पुरातन रूढ़िवादिता से उपजा है, परिवार के कमाने वालों की बजाय बच्चे पैदा करने वाली गृहणी के रूप में पहचाना जाता है। महिलाओं में पुरूषों की तुलना में राजनीतिक रूप से सक्रिय होने की सम्भावना कम है और घरेलू हिंसा की शिकार होने की सम्भावना कहीं अधिक है।

<u>लक्ष्य–5 : लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना</u> :– लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं व लड़कियों को सशक्त बनाना न केवल सही कदम है, बल्कि सतत् विकास के लिए आवश्यक भी है। लक्ष्य–5 लैंगिक अन्तर को कम करने और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने पर केन्द्रित है। लैंगिक समानता न केवल एक मौलिक मानवाधिकार है, बल्कि एक शान्तिपूर्ण, समृद्ध और स्थायी विश्व के लिए आवश्यक आधार भी है, पिछले दशकों में काफी प्रगति हुई है लेकिन समस्त संसार 2030 तक लैंगिक समानता प्राप्त करने के रास्ते पर नहीं है। महिलायें एवं लड़कियाँ विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन लैंगिक असमानता हर जगह मौजूद है और सामाजिक प्रगति में बाधा बन रही है। यौन हिंसा, शोषण, अवैतनिक देखभाल और घरेलू काम का असमान वितरण और सरकारी पदों पर भेदभाव ये बड़ी बाधाएं बनी हुई हैं। वैश्विक स्तर पर श्रम बाजार में प्रबन्धकीय पदों पर महिलायें अभी भी औसतन 30–35 प्रतिशत पर ही काबिज हैं और महिलायें पुरूषों की तुलना में अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्यों में लगभग 2.5 गुना (ढाई गुना) से अधिक समय बिताती हैं। वर्ष 2023 तक प्रगति दर के अनुसार, बाल विवाह को समाप्त करने में अनुमानतः 300 वर्ष लगेंगे, कानूनी संरक्षण को पाटने और भेदभावपूर्ण कानूनों को हटाने में 285 वर्ष लगेंगे, कार्यस्थल में सत्ता और नेतृत्व के पदों पर महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व मिलने पर 140 वर्ष लगेंगे तथा राष्ट्रीय संसद में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में 47 वर्ष लगेंगे।

लक्ष्य–5 को प्राप्त करने में आने वाली प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने के लिए राजनीतिक नेतृत्व, निवेश और व्यापक नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है। लैंगिक समानता एक सर्वव्यापी उद्देश्य है और इसे राष्ट्रीय नीतियों, बजटों और संस्थानों का मुख्य केन्द्र होना चाहिए।

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 04, April 2026

स्त्री–पुरूषों के बीच समानता का प्रयास :– भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात नगर में उच्च एवं मध्यम वर्ग की महिलाओं द्वारा महिला जागरूकता के लिए अनेक संगठनों की स्थापना की गयी। इन संगठनों का उद्देश्य एक ओर महिलाओं में ऐसी जागरूकता उत्पन्न करना है, जिससे वे परिवार तथा समाज में शोषण के विरूद्ध अपनी आवाज उठा सकें। दूसरी ओर बड़े–बड़े नगरों में अनेक महिला सेमिनारों/सम्मेलनों का आयोजन किया जाने लगा ; जिसमें महिलाओं की आर्थिक प्रस्थिति, उनकी व्यवसायकि कठिनाईयों, परिवार में किये जाने वाले भेदभाव, छोटे परिवारों की चेतना जैसे विषयों पर व्यापक रूप से विचार किया गया। समय–समय पर विभिन्न आन्दोलनों के द्वारा उन गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए आन्दोलन किये गये, जिनके फलस्वरूप महिलाओं का जीवन अपमानित होता है, जैसे– महिला संगठनों से स्त्रियों को लेकर छपने वाले अश्लील साहित्य, परिवारों में महिलाओं के दमन, बलात्कार की बढ़ती हुई घटनाओं तथा दहेज को लेकर की जाने वाली हत्याओं के विरूद्ध व्यापक आन्दोलन किये हैं। विभिन्न अवसरों पर नारी मुक्ति के लिए किये जाने वाले संघर्ष, वर्ग संघर्ष की तरह प्रतीत होते हैं ; क्योंकि इनका उद्देश्य उस सम्पूर्ण पुरूष वर्ग का सहयोग करना होता है जो गृहणियों को कठोर परीक्षण के बाद भी उनका कोई मूल्य देने के पक्ष में नही है।

यदि हम महिला एवं पुरूषों के बीच समानता सम्बन्धी प्रयासों के परिणाम पर विचार करें तो कभी भी महिला आन्दोलन का समाज पर अधिक प्रभाव दिखाई नहीं देता। ये सत्य है कि आज आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन में स्त्रियों की सहभागिता बढ़ने के साथ ही परिवार में उनके साथ अधिक सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाने लगा है, लेकिन यह परिवर्तन महिला आन्दोलनों से उतना प्रभावी नहीं है, जितना कि स्त्रियों में बढ़ने वाली शिक्षा तथा स्वयं पुरूषों की मनोवृत्तियों मे होने वाले परिवर्तन से है। सच तो यह है कि हमारे समाज में आज भी पितृसत्तात्मक सत्ता की जड़ें बहुत गहरी हैं। यही कारण है कि नगर की शिक्षित गृहणियाँ भी व्यावहारिक जीवन में अपने पति तथा श्वसुर के साथ पूर्ण समानता का व्यवहार करने की इच्छा नहीं करतीं।

भारत सरकार ने सन् 1971 में एक समिति की नियुक्ति की, जिसका कार्य स्त्री तथा पुरूषों के बीच समानता लाने के लिए सुझाव देना था। इसकी संस्तुति के आधार पर सन् 1976 में सामान्य कार्य करने के लिए स्त्री एवं पुरूषों के लिए समान पारिश्रमिक का कानून पास किया गया। भारत के अतिरिक्त दूसरे देशों ने भी नारी मुक्ति के लिये जो आन्दोलन हुए, उसके परिणाम स्वरूप सन् 1975 को ''अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष'' (Internation Women Year) के रूप में घोषित किया गया। भारत में 1982 में महिला उत्पीड़न के विरूद्ध कार्यक्रम बनाये गये तथा कामकाजी महिलाओं के लिय छात्रावास का निर्माण किया गया। सरकार ने 1986 में एक अलग ''महिला विकास निगम'' की स्थापना की। महिलाओं की चर्तुमुखी के विकास के लिए सन् 1992 में स्त्रियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के साथ इसी वर्ष ''राष्ट्रीय महिला कोश'' की भी स्थापना की गयी। ग्रामीण महिलाओं में आर्थिक निर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से 1993 में ''महिला समृद्धि योजना'' को भी प्रारम्भ किया गया। इन समस्त प्रयासों के सन्दर्भ में यह देखना आवश्यक है कि वर्तमान में स्त्री–पुरूषों के सम्बन्धों की प्रकृति कैसी है? सैद्धान्तिक रूप से यह मान लिया जाता है कि आज स्त्री–पुरूष के सम्बन्धों में पूर्ण समानता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। वर्तमान समाज में यह एक प्रमुख आवश्यकता है कि स्त्री–पुरूष के सम्बन्धों में अधिक से अधिक समानता लाई जाये। यह कोई नई घटना नहीं होगी। भारत की वैदिक संस्कृति में भी स्त्री पुरूष के सम्बन्ध समानता पर आधारित

© RESEARCH WORK JOURNAL (www.researchwork.ijarms.org)

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 04, April 2026

थे। उस समय हमारा समाज सबसे अधिक संगठित और विकसित था। महिलाओं की वास्तविक समस्याओं को हम केवल तभी समझ सकते हैं जब हम अपने आप को महिलाओं की स्थिति में रखकर उनकी कठिनाईयों और समस्याओं को मूल्यांकन करें। उनके प्रति सहानुभूति के दो शब्द कह देना ही पर्याप्त नहीं है। वर्तमान युग में महिलाओं द्वारा पुरूषों के समान अधिकारों की मांग करना भारतीय समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है।

लैंगिक समानता प्राप्त करने के सिद्धान्त :– संयुक्त राष्ट्र इस बात पर जोर देता है कि लैंगिक समानता को निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतो के माध्यम से दृढ़ता से कायम रखा जाना चाहिए :–

1. **समावेशी भागीदारी –** पुरूषों और महिलाओं दोनों को संयुक्त राष्ट्र के मुख्य और सहायक निकायों में किसी भी भूमिका में सेवा करने का अधिकार होना चाहिए।
2. **उचित मुआवाजा–** मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में इस बात की पुष्टि की गयी है कि वेतन असमानता में लिंग को कभी भी कारक नहीं बनाया जाना चाहिए– समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए।
3. **संतुलित शक्ति गतिशीलता–** अधिकार और प्रभाव को लिंगों के बीच समान रूप से साझा किया जाना चाहिए।
4. **अवसरों तक समान पहुंच–** लिंग की परवाह किए बिना सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय स्वतंत्रता और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के समान अवसर मिलने चाहिए।
5. **महिला सशक्तिकरण–** महिलाओं को अपने जीवन पर नियंत्रण रखने और समाज के समान सदस्य के रूप में अपने अधिकारों का दावा करने में सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

लैंगिक समनता के क्षेत्र में प्रगति :– महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने मे वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गयी है, 2019 और 2024 के बीच भेदभावपूर्ण कानूनों को हटाने और लैंगिक समानता ढांचे स्थापित करने के लिए 99 सकारात्मक कानूनी सुधार लागू किये गये हैं। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से कुछ क्षेत्रों में सुधार हुआ है ; हाल के वर्षों में बाल विवाह और महिला जननांग विकृति में कमी आयी है; और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पहले से कहीं अधिक बढ़ा है। लेकिन एक ऐसी दुनिया का वादा जिसमें हर महिला और लड़की को पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त हो, और जहां उनके सशक्तिकरण की सभी कानूनी, सामाजिक और आर्थिक बाधाएँ दूर हो जाएं, अभी भी अधूरा है।

लिंग सम्बन्धी चुनौती :– दुनिया भर में 43.7 प्रतिशत विवाहित महिलाओं के पास अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारों के बारे में निर्णय लेने की शक्ति का अभाव है, 15–49 वर्ष की आयु की 35 प्रतिशत महिलाओं ने शारीरिक और/या यौन अतंरग साथी–हिंसा या गैर–साथी यौन हिंसा का अनुभव किया है। दुनिया भर में 23 करोड़ से अधिक लड़कियों एवं महिलाओं ने किसी न किसी रूप में महिला जननांग विकृति/काटने का अनुभव किया है ; जिससे लम्बे समय तक रक्तस्राव, संक्रमण (HIV सहित), प्रसव सम्बन्धी जटिलताएँ, बाँझपन और मृत्यु का उच्च जोखिम होता है।

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 04, April 2026

इस प्रकार की हिंसा न केवल व्यक्तिगत महिलाओं और लड़कियों को नुकसान पहुँचाती है बल्कि यह उनके जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी कम करती है और समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी में बाधा डालती है।

स्पॉट लाइट पहल (Spot Light Initiative):– स्पॉट लाइट पहल एक यूरोपीय संघ/संयुक्त राष्ट्र साझेदारी है, तथा यह एक वैश्विक, बहुवर्षीय पहल है, जो महिलाओं और लड़कियों के विरूद्ध सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करने पर केन्द्रित है– यह महिलाओं और लड़कियों के विरूद्ध सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लक्षित प्रयास है। यूरोपीय संघ (EU) और संयुक्त राष्ट्र (UN) एक नई, वैश्विक, बहुवर्षीय पहल शुरू कर रहे हैं, जो महिलाओं व लड़कियों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा (VEDWG) को खत्म करने पर केन्द्रित है। स्पॉटलाइट पहल/इस पहल का नाम स्पॉट लाइट पहल इसलिए रखा गया है क्योंकि यह इस मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित करता है ; इसे सुर्खियों में लाता है और सतत् विकास के लिए 2030 एजेण्डा के अनुरूप लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण प्राप्त करने के प्रयासों के केन्द्र में रखता है।

सम्पूर्ण व्यवस्था में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र (UN) की प्रतिबद्धता एक मजबूत विधायी और संस्थागत ढांचे पर आधारित है जिसे 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से लगातार विकसित और सुदृढ़ किया गया है। इस ढांचे में संयुक्त राष्ट्र चार्टर, महिलाओं की स्थिति पर आयोग (CSW) महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW), महासभा के प्रस्तावों, महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन का बीजिंग घोषणा पत्र और कार्य मंच, तथा हाल ही में सतत् विकास के लिए 2030 एजेण्डा शामिल है।

महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) :– एक महिला को खुश रहने का, जानने का एवं उसके अपने जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों को चुनने का अधिकार है, उसे यह भी अधिकार है कि अपने शरीर से सम्बन्धित उसके विचारों का सम्मान किया जाए। परिवार एवं समाज में उसकी स्थिति का सम्मान किया जाए। एक सशक्त महिला गुलामी से आजाद होती है। परिवार, समाज एवं राष्ट्र द्वारा किए जाने वाले मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक शोषण से वह स्वतन्त्र होती है। उसे यह अधिकार होता है कि वह अपनी इच्छानुसार पूर्णतः अपना आध्यात्मिक, सामाजिक, बौद्धिक, कलात्मक एवं राजनीतिक विकास कर सके। आज उस युगों पुरानी पुरूषवादी सामाजिक वृत्ति को चुनौती देने की आवश्यकता है, जो महिलाओं को पुरूषों की तुलना में कम महत्वपूर्ण मानते हैं।

महात्मा गांधी के अनुसार– ''महिलाओं के अधिकारों के मामलें में मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। मैं ऐसा मानता हूँ कि महिलाओं को ऐसी कोई कानूनी रूकावट नहीं होनी चाहिए, जो पुरूषों को नहीं झेलनी पड़ती है।'' जब तक भारतवर्ष की महिलाएँ पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर धार्मिक, राजनीतिक एवं सांसारिक मामलों में बराबरी से अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करती तब तक भारत के भाग्य का उदय नहीं हो सकता है।

सन् 1955 में बीजिंग सम्मेलन में सशक्तिकरण विषय पर चर्चा हुई और इच्छुक राष्ट्रों के लिए दिशा निर्देश तैयार किए गए। भारत में महिला नीति की घोषणा की। भारत में महिला सशक्तिकरण का प्राथमिक उद्देश्य

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 04, April 2026

महिलाओ की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को सुधारना है। स्वतंत्रता के पश्चात आज लगभग 78 वर्षों के बाद महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि 50 प्रतिशत गर्भवती महिलायें एनीमिया (खून की कमी) रोग से पीड़ित हैं, 25 प्रतिशत को बच्चों को महिलायें कुपोषण के कारण प्रसव अवधि से पूर्व जन्म देती हैं, वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। इस दौरान समग्र समाज को महिलाओं की स्थिति और भूमिका के बारे में जागरूक बनाने के प्रयास किये गये, किन्तु ये सभी प्रयास महानगरों तथा शहरों तक सीमित रहे, इसका पहला आयाम महिलाओं में आत्मविश्वास और स्वाभिमान जागृत करना है ; किन्तु आज 21वीं सदी में जब इन्दौर की संगीता को 300 दर्शकों की उपस्थिति में अपने सतीत्व की सचाई साबित करने के लिए 90 मिनट तक गर्म की गयी लोहे की सलाख पकड़ने को मजबूर किया जाता है तो क्या हमें महिला दिवस अथवा भारतीय महिलाओं के लिए सशक्तिकरण वर्ष मनाने का कोई अधिकार है?

अगर हम समय से थोड़ा पीछे जाएं तो मालूम होगा कि हालात कितने बदले हैं। वर्ष 1991 से पहले देश में महिलाओं की स्थिति बेहद कमजोर और दयनीय मानी जा सकती थी। जहां एक तरफ समाज में इन्दिरा गांधी जैसी महिलाओं ने नारी सशक्तिकरण की तरफ कदम बढ़ाये वहीं दूसरी तरफ अपना देश उन देशों में शामिल था जहां पर लिंगानुपात में भारी अन्तर था। लिंगानुपात का अर्थ होता है कि प्रति 1000 पुरूषों में महिलाओं की संख्या। वर्ष 1901 में भारत में लिंगानुपात 972 था जो कि गिरते–गिरते 1991 में 927 हो गया। 1991 और इसके आने वाले समय के बाद महिलाओं की स्थिति में काफी परिवर्तन हुए। चारों तरफ शिक्षा क्रान्ति ने महिलाओं को नया जीवन दिया। घर की दहलीज पार करके उन्होंने पुरूषों की बराबरी करने के लिए कंधे से कंधे मिलाकर काम करना शुरू कर दिया। अब पुरूष भी महिलाओं को उनका स्थान और महत्व देने लगे हैं। भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाते हुए देश की संसद में और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की। महिला आरक्षण बिल पास होने से जहां पहले से ही पंचायतों में महिलाओं की हिस्सेदारी 33 प्रतिशत से अधिक थी अब उम्मीद है कि देश की सरकार में उनकी हिस्सेदारी अथवा भागीदारी बढ़ेगी।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ :– महिला सशक्तिकरण का अर्थ है– महिलाओं को शक्तिशाली बनाना। इसका अर्थ यह है कि महिलायें समाज में शक्तिहीन है इसलिए इन्हें शक्तिशाली बनाना। भारतीय सन्दर्भ में महिलाओं को पुरूषों की बराबरी में लाना महिला सशक्तिकरण का प्रयोग सरकारी तन्त्र में भी शुरू हो चुका है। इस प्रकार सरकारी तंत्र की सोच पहले महिला विकास, फिर महिला सहभागिता, इसके बाद महिला सशक्तिकरण का समय आया।

महिला सशक्तिकरण, भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। महिला शब्द मुख्यतः वयस्क स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है। कई सन्दर्भों में, मगर यह शब्द सम्पूर्ण स्त्री वर्ग को दर्शाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया में समाज को पारम्परिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है जिसने महिलाओं की स्थिति को कमत्तर (निम्न स्तर) माना है।

महिला सशक्तिकरण विकास और अर्थशास्त्र में चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं को संसाधनों, परिसंपत्तियों और आय पर नियंत्रण तथा लाभ उठाने की अनुमति

देता है। यह जोखिमों का प्रबंधन करने और महिलाओं की भलाई में सुधार करने में भी सहायता करता है। महिला सशक्तिकरण साक्षरता, शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता निर्माण के माध्यम से महिलाओं की स्थिति को बढ़ावा देने में मदद करता है इसके अलावा महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य राजनीतिक जीवन विकल्प बनाने की क्षमता से है। जो पहले उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था। महिला सशक्तिकरण आर्थिक और सामाजिक परिणामों की कुंजी है।

खाद्य एवं कृषि (FAO) के अनुसार– महिलाओं की भलाई (महिलाओं की समस्याओं के लिये महिलायें) के लिये महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना आवश्यक है और इसका कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा, आहार एवं बाल पोषण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सशक्तिकरण एक उत्पाद नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। विद्वानों ने सशक्तिकरण के दो रूपों की पहचान की है : (i) आर्थिक सशक्तिकरण (ii) राजनीतिक सशक्तिकरण

(i) आर्थिक सशक्तिकरण :– 1980 के दशक से, नव उदारवाद के लिए दबाव में आर्थिक सफलता के माप के रूप में प्रतिस्पर्धा और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी है। ऐसे व्यक्ति और उनके पहचान वाले समुदाय जो समाज के पंसदीदा नव उदारवादी मानकों पर खरे नहीं उतरते, उन्हें निम्न स्तर से देखा जाता है और उनके आत्म सम्मान को कम करने की सम्भावना होती है। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता प्राप्त करना समाज को किसी देश के सतत विकास को सुनिश्चित करने में सहायता करता है। विश्व के कई नेताओं और विद्वानों ने तर्क दिया गया है कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के बिना सतत विकास असम्भव है। सतत विकास पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक और आर्थिक विकास जिसमें महिला सशक्तिकरण भी शामिल है, को स्वीकार करता है। महिला और विकास के सन्दर्भ में, सशक्तिकरण में महिलाओं के लिए स्वयं के लिए अधिक विकल्प होने चाहिए। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सम्पत्ति, उत्तराधिकार और भूमि अधिकारों तक उनकी पहुँच को मजबूत करने का एक और तरीका है। इससे उन्हें सम्पत्ति संचय, पूंजी और सौदेबाजी की शक्ति के अच्छे साधन मिलेंगे, जो लैंगिक असमानाताओं को दूर करने के लिए जरूरी है। रोजगार जैसे क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण पर नस्ल का अभिन्न प्रभाव पड़ता है। रोजगार महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायक सिद्ध हो सकता है। कार्यस्थल में सशक्तिकरण नौकरी की संतुष्टि और प्रदर्शन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और कार्यस्थल में समानता होने से सशक्तिकरण की भावना में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की एक अन्य पद्धति में माइक्रो क्रेडिट भी शामिल है। माइक्रोफाइनेंस समस्याओं का लक्ष्य अपने समुदाय की महिलाओं को बिना किसी सपार्श्विक के कम ब्याज दरों वाले ऋणों तक पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। विशेष रूप से माइक्रोफाइनेंस संस्थाएँ उन महिलाओं को माइक्रोक्रेडिट देने का लक्ष्य रखती हैं जो उद्यमी बनना चाहती हैं।

(ii) राजनीतिक सशक्तिकरण :– राजनीतिक सशक्तिकरण उन सभी नीतियों को बनाने में समर्थन करता है जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और एजेंसी का सबसे अच्छा समर्थन करती है। जिन तरीकों का सुझाव दिया गया है वे सकारात्मक कार्यवाही नीतियाँ बनाता है, जिसमें नीति निर्माण और संसद पदों पर महिलाओं की संख्या के लिये होता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कहना है कि महिलाएँ ज्ञान, बुद्धिमत्ता और अर्न्तदृष्टि तभी प्राप्त कर सकती हैं जब उन्हें समाज के सभी पहलुओं में समान रूप से शामिल किया जाये। महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व शान्ति में योगदान देता है, संघर्ष को कम करता है और दीर्घकालिक सतत विकास का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 04, April 2026

(UNDP) पार्टी की नीतियों और राजनीतिक दलों में महिलाओं की उपस्थिति और प्रभाव का समर्थन कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार– राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निम्न बिन्दु शामिल करने होंगेः–

- नीति में लैंगिक समानता पर वक्तव्य को शामिल करना।
- महिलाओं की भागीदारी और चुनाव के लिए कोटा होना।
- महिला प्रतिनिधित्व के लिये लक्ष्य निर्धारित करना।
- महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाने एवं उन्हें प्रशिक्षित करना।
- मीडिया में अधिक प्रचार के माध्यम से अभियान में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाना।

संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन भी मानता है कि महिला सशक्तिकरण सतत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। IPGAP विश्व भर में महिलाओं और लड़कियों के लिये आर्थिक सहायता और सशक्तिकरण प्राप्त करने के लिए एक कार्यवाही ढांचा (प्रारूप) है। अप्रैल 2023 में, WIPO के महान निदेशक डेरनटैंग ने लैंगिक अंतर को कम करने और दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों को आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए अपने बौद्धिक सम्पदा विकारों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता की घोषणा की : ''हमारा डेटा दर्शाता है कि महिलायें वैश्विक बौद्धिक सम्पदा प्रणाली का पुरूषों की तुलना में कम उपयोग कर रही हैं, और ये हम सभी के लिये नुकसान है, WIPO बौद्धिक सम्पदा में इस लैंगिक अन्तर को कम करने के लिए काम कर रहा है।'' ये घोषणा विश्व बौद्धिक सम्पदा दिवस 2023 के समारोह के दौरान की गयी थी।

लैंगिक समानता और सशक्तिकरण में डिजिटल टेक्नोलाजी का उपयोग :– FAO के अनुसार, ICT के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के 7 सफल कारक हैं : (i) विषय वस्तु को इस प्रकार ढाले कि वह उनके लिए अर्थपूर्ण हों। (ii) उनके लिए साझा करने और सीखने के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनायें। (iii) लिंग के प्रति संवेदनशील बनें। (iv) उन्हें साझा करने के लिए उन्हें पहुंच और उपकरण उपलब्ध करायें। (v) साझेदारियाँ बनायें। (vi) टेक्नोलॉजी (प्रौद्योगिकी) का सही मिश्रण प्रदान करें (vii) स्थिरता सुनिश्चित करें।

सरकार की नियामक भूमिका (स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर) बुनियादी ढांचे की बाधाओं को दूर करने, नियामक वातावरण को समांजस्यपूर्ण बनाने और उसे समावेशी एवं लिंग संवेदनशील बनाने तथा सभी हितधारकों को धोखाधड़ी एवं अपराध से बचाने में महत्वपूर्ण है।

सांस्कृतिक सशक्तिकरण :– संस्कृति विविधता का एक अभिन्न और बड़ा हिस्सा है और एक ऐसा माध्यम है जो महिलाओं के समान अवसरों को सुनिश्चित करना चाहता है यह उनके मूल्यों पर गर्व करने की उनकी स्वतंत्रता को मान्यता देता है, चाहे वे प्रकृति में रूढ़िवादी या आधुनिक हों। सांस्कृतिक सशक्तिकरण का एक उदाहरण इस प्रकार उपस्थित है :– ''मलाला युसुफजई इस बात का उदाहरण है कि कई भाषा व साक्षरता का इस्तेमाल औपनिवेशिक एवं साम्राज्यवादी दृष्टिकोणों का विरोध करने के लिये किया जा सकता है। पश्चिमी मीडिया ने उन्हें एक शिक्षा नायक, आतंकवाद और तालिबान का हिस्सा का विषय एवं

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 04, April 2026

महिलाओं के प्रति शत्रुता का शिकार के रूप में प्रतिष्ठित किया। अपनी पुस्तक में वह स्वयं को एक शक्तिशाली आवाज के रूप में पुर्नस्थापित करती है जो अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं पर विचार एवं मूल्यांकन करती है, तथा साक्षरता की वैकल्पिक समझ प्रस्तुत करती है।

सशक्तिकरण के तत्व :– महिला सशक्तिकरण के तत्व इस प्रकार प्रस्तुत हैं : (अ) आत्म गौरव (ब) जागरूकता (स) पसंद को पूरा करने की शक्ति (द) सूक्ष्म स्त्री बदलाव (य) बाहर से सशक्तिकरण की शुरूआत

महिला सशक्तिकरण की राह में बाधाएँ :– कृषि प्रधान भारत में परिवार ही समाज की इकाई माना जाता है। इस परिवार को पालने में महिला (गृहणी) इस तरह डूब जाती है कि उसकी भूमिकाओं से परे, उसकी अपनी निजी सत्ता अक्सर खो जाती है। गृहणी के हत्थे घर के सारा जंजाल मढ़ा होता है। अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए उसकी निरंतर परीक्षा भी होती रहती है। परम्परागत परिवारों में एक कुशल गृहणी पीहर (मायके) और ससुराल दोनों ही मोर्चों को सम्भालने का कार्य करती है। बेटी, पत्नी, बहू, माँ, सासू माँ, दादी आदि की बदलती भूमिकायें स्त्री को कभी चैन नहीं लेने देती, प्राचीन मान्यताओं के आधार पर स्त्री को देवी, शक्ति की देवी, विद्या की देवी तक का दर्जा दिया गया है।

समाज में पिता, पति, भाई, पुत्र आदि द्वारा महिला की रक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान और प्रतिष्ठा बनाये रखने के प्रावधान किए गये। रिश्तों की पारस्परिकता स्वाभाविक थी और वैदिक काल में स्त्री पुरूष की समानता के अनेक प्रेरक दृष्टांत मिलते हैं, पर धीरे–धीरे परिस्थितियाँ बदलती रहीं और महिला समाज की व्यवस्था में हाशिये की ओर खिसकती गयी। उनके शोषण के कई मार्ग खोज लिए गए, वो भोग्या के रूप में एक वस्तु बन गयी, जिसे बाजार ने भी भुनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी इच्छा का कोई महत्व नहीं रह गया। उसकी इच्छा और कामनाओं को नजर अंदाज करना और उसको दबाकर चुप कराने की कोशिशें बढ़ती गयी। पितृ सत्तात्मक मानसिकता के चलते बाल विवाह, दहेज हत्या, यौन शोषण, यौन हिंसा, भ्रूण हत्या एवं अनैतिक देह व्यापार जैसे अत्याचारों की लम्बी सूची बनती है। स्त्री को एक वस्तु मानने की सोच ने स्त्री शोषण को बहुत बढ़ावा दिया है। मुश्किल यह है कि आज भी यह सोच नहीं बदल रही है। यही कारण है कि स्त्री असुरक्षित है। आधुनिकता के नाम पर अपनायी जा रही नई व्यवस्थाएं उसके शोषण का जरिया बन रही है। नये दौर में पढ़े–लिखे युवा, विवाह और परिवार की स्वीकृति मर्यादा से आगे बढ़कर ''लिव इन रिलेशनशिप'' के तहत पारस्परिक समझौते के आधार पर रहने की आवश्यकता अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज परिपक्व बुद्धि और विवेक को सामाजिक–सांस्कृतिक प्रथाओं को तरजीह देने का चलन है, परस्पर स्वीकृति से बालिग को यौन सम्बन्ध बनाने और ऐसे रिश्तों को वैधानिक छूट भी मिली हुई है। दुर्भाग्य से ऐसे रिश्ते के टिकने में मुश्किलों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिनमें कई बड़े ही दुखद हैं। इसके साथ ही गांवों और कस्बो की बहुसंख्यक महिलायें, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन कौशलों के विकास में पिछड़ती चली गयीं। इस तरह समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को दबाने और बाधित करने की कोशिशें आम बात हो गयी हैं। उनकी मर्जी के बिना उनके साथ कुछ भी करने की छूट लेना पुरूष का जैसा अधिकार ही बन गया।

महिला और पुरूष के बीच अवसरों की दूरी को पाटने और पूर्वाग्रहों से निपटने के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान के साथ आरक्षण की व्यवस्था नाकाफी साबित हुई है। ऊँचे पदों पर पहुँचने और

कठिन दायित्व निभाने के प्रमाण के बावजूद विकृत मनोवृत्ति और नियम कानूनों का ठीक से अनुपालन न होने के चलते समस्यायें बनी हुई हैं। महिला सामर्थ्य के प्रतिष्ठित होने के चलते लम्बी राह तय करनी है। अतीत की ओर लौटना तो सम्भव नहीं है, परन्तु स्त्री जागरण, प्रभावी निगरानी, नियमों का अनुपालन और लैंगिक अभिवृत्ति की परिपक्वता के लिये समाजीकरण की सहायता से महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ना सम्भव हो सकेगा।

भारत में महिला कल्याण के वैधानिक प्रयत्न :– लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण तथा महिला कल्याण के लिये सरकार द्वारा जो कानून बनाये गये हैं, उनका विवरण इस प्रकार प्रस्तुत है–

(i) बाल विवाह अवरोध अधिनियम–1929
(ii) विशेष विवाह अधिनियम– 1954
(iii) हिन्दू विवाह अधिनियम–1955
(iv) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956
(v) स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार (संशोधित 1978, 1986) निरोधक अधिनियम 1956
(vi) दहेज निरोधक अधिनियम–1961
(vii) समान वेतन अधिनियम–1976
(viii) केन्द्रीय पंचायती राज अधिनियम–1992 (73वाँ संशोधन)
(ix) घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम–2005
(x) कार्य स्थल पर यौन शोषण अधिनियम–1997
(xi) कारखाना अधिनियम–1948 (संशोधन 1976)

लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की माप और मूल्यांकन :– महिला सशक्तिकरण को लैंगिक सशक्तिकरण माप (GEM) के माध्यम से मापा जा सकता है, जो किसी दिए गए देश की महिलाओं की राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी की गणना करता है। जी.ई.एम. की गणना ''संसद में महिलाओं की सीटों की हिस्सेदारी ; महिला विधायकों, वरिष्ठ अधिकारियों और प्रबन्धकों, और महिला पेशेवर और तकनीकी कर्मचारियों ; और अर्जित आय में लैंगिक असमानता, जो आर्थिक स्वतन्त्रता को दर्शाती है'' को ट्रैक करके की जाती है। यह इस जानकारी के आधार पर देशों को रैंक करता है। जी.ई.एम. की कुछ आलोचनाएँ यह है कि ये समाज से सम्बन्धित कारकों जैसे– लिंग, धर्म, सांस्कृतिक सन्दर्भ, कानूनी सन्दर्भ और महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित नही है।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट :– संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में विश्व भर की महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है– संयुक्त राष्ट्र महिला और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से किये गये व्यापक विश्लेषण में महिला सशक्तिकरण सूचकांक (Women Empowerment Index-WEI) और वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक (Global Gender Parity Index-GGPI) के अधार पर 114 देशों का मूल्यांकन किया गया है। मौजूदा निष्कर्ष, कमियों को दूर करने और अधिक न्यायसंगत एवं समावेशी विश्व की दिशा में प्रगति को बढ़ावा देने हेतु व्यापक नीति की तत्कालीन आवश्यकता पर बल देते हैं।

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 04, April 2026

रिपोर्ट के मुख्य परिणाम :–

(i) विश्व स्तर पर केवल 1 प्रतिशत महिलायें उच्च महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता वाले देशों में रहती हैं।
(ii) नेतृत्व भूमिका और निर्णय प्रक्रिया मुख्य रूप से पुरूष प्रधान बनी हुई है जिससे महिलाओं के लिये अवसर सीमित हो गये हैं।
(iii) WEI के अनुसार, महिलायें औसतन अपनी पूरी क्षमता का केवल 60 प्रतिशत ही प्राप्त कर पाती हैं। GGPI के अनुसार, मानव विकास के प्रमुख आयामों में महिलायें पुरूषों की तुलना में 28 प्रतिशत पीछे हैं।
(iv) विश्लेषण किये गये 114 देशों में से किसी ने भी पूर्ण महिला सशक्तिकरण या लैंगिक समानता प्राप्त नहीं की।
(v) विश्व स्तर पर 90 प्रतिशत से अधिक महिलायें उन देशों में रहती हैं जो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण प्राप्त करने में खराब या औसत दर्जे का प्रदर्शन करती हैं।
(vi) अत्यधिक विकसित देशों में भी लैंगिक समानता की चुनौतियाँ बरकरार हैं। विश्लेषण किये गये 114 देशों में 85 से अधिक, जिनमें आधे से अधिक उच्च या उच्चतर मानव विकास श्रेणियों में शामिल है, कम या मध्यम महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता दर्शाते हैं अर्थात् केवल आर्थिक प्रगति ही लैंगिक समानता सुनिश्चित नहीं करती।
(vii) मध्यम मानव विकास के बावजूद भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता कम है, जो लैंगिक अन्तर को समाप्त करने तथा महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
(viii) केवल लैंगिक समानता ही महिला सशक्तिकरण की गारण्टी नहीं देती। रिपोर्ट से पता चलता है कि लैंगिक अन्तर वाले किसी भी देश में उच्च महिला सशक्तिकरण की स्थिति प्राप्त नहीं की है।
(ix) इसके अतिरिक्त लगभग 8 प्रतिशत कम सशक्तिकरण, लेकिन उच्च लैंगिक समानता वाले देशों मे रहती है।

महिला सशक्तिकरण सूचकांक (WEI) :– (i) यह U.N. महिला और U.N.D.P. द्वारा तैयार किये जाने वाला एक समग्र सूचकांक है। (ii) WEI विकल्प चुनने और जीवन के अवसरों का लाभ उठाने की महिलाओं की शक्ति एवं स्वतन्त्रता को दर्शाता है। (iv) WEI का विकास साक्ष्य आधारित नीति निर्धारण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और लैंगिक समानता और महिलाओ तथा लड़कियों के सशक्तिकरण पर सतत विकास लक्ष्य–5 (SDG-5) की दिशा में सरकार की प्रगति की निगरानी के लिये आधार रेखा के रूप में कार्य करता है। (v) यह पांच आयामों के आधार महिला सशक्तिकरण का आंकलन करता है : (a) जीवन और स्वास्थ्य (b) शिक्षा, कौशल निर्माण एवं ज्ञान (c) श्रम एवं वित्तीय समावेशन (d) निर्णय लेने में भागीदारी (e) हिंसा से मुक्ति

वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक (Global Gender Parity Index-GGPI) :- (i) GGPI एवं समग्र सूचकांक वह है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और निर्णय लेने सहित मानव विकास के प्रमुख आयामों के लैंगिक असमानताओं का आंकलन करता है। (ii) GGPI को U.N. Women और UNDP द्वारा समानता का मार्ग : महिला सशक्तिकरण एवं मानव विकास में लैंगिक समानता शीर्षक से एक नयी वैश्विक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 04, April 2026

विकसित किया गया है। जिसे जुलाई 2023 में लांच किया गया था। (ii) GGPI का लक्ष्य विभिन्न सन्दर्भों और आयामों में पुरूषों के सापेक्ष महिलाओं की स्थिति को जानना है। यह लैंगिक समानता की बहुआयामी तथा परस्पर सम्बन्धी प्रकृति को भी दर्शाता है।

सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक जीवन में लैंगिक अन्तर को कम करने के लिए भारतीय पहल :– भारत सरकार ने सामाजिक–आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में लैंगिक अन्तर को कम करने के लिए विभिन्न योजनाएँ बनायी हैं :–

(i) **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (22 जनवरी 2015)** – यह पहल बालिकाओं की सुरक्षा, अस्तित्व एवं शिक्षा सुनिश्चित करती है।

(ii) **महिला शक्ति केन्द्र** – इसका उद्‌देश्य ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करके सशक्त बनाना है।

(iii) राष्ट्रीय महिला कोश– यह एक शीर्ष, सूक्ष्म–वित्त संगठन है जो गरीब महिलाओं को विभिन्न आजीविका और आय सृजन गतिविधियों के लिए रियायती शर्तों पर सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है।

(iv) सुकन्या समृद्धि योजना – इस योजना के तहत लड़कियों के बैंक खाते खुलवाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है।

(v) महिला उद्यमिता – महिला उद्यमिता को प्रौसाहित करने के लिये सरकार ने स्टैण्ड अप इण्डिया और महिला ई–हाट, उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ESSDP) शुरू किये हैं।

(vi) कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना (2004) – इन्हें शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (EBB) में खोला गया है।

(vii) राजीव गाँधी योजना – इसकी शुरूआत 01 अप्रैल 2011 में हुई थी।

(viii) प्रधानमंत्री उज्जवला योजना – इस योजना की शुरूआत 01 मई 2016 को हुई थी। इसमें महिला को गैस कनेक्शन की मुफ्त सुविधा दी गयी है।

(ix) महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (STEP) : इस योजना की शुरूआत 1986–87 में केन्द्रीय योजना के रूप में की गयी।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास :– विश्व भर की महिलाओं की स्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करने के उद्‌देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने वर्ष 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया था। मैक्सिको में महिला वर्ष का आरम्भ करते हुए राष्ट्र संघ का महासचिव डॉ0 कुर्तवाल्दहाइम ने कहा था, 'महिलाओं के प्रति भेदभाव की नीति उतनी ही गम्भीर है, जितनी की अनाज की कमी और बढ़ती हुई जनसंख्या की' समानता का संचार, विकास में महिलाओं की साझेदारी एंव विश्व शान्ति में महिलाओं का योगदान आदि इस घोषणा का प्रमुख उद्‌देश्य था। 1975 में देश विदेश में विभिन्न भागों में प्रतियोगिताएँ, भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार, प्रभात फेरी और नारी शक्ति जागरण के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यद्यपि ये समस्त कार्यक्रम नगरीय अंचलों तक सिमटकर रह गये और स्त्रियों की स्थिति भी आज कुछ खास अच्छी नहीं है, जहाँ पहले थी। आज शिक्षा के सर्वव्यापीकरण एवं सराकारी योजना के फलस्वरूप अब इसका प्रभाव भी पड़ रहा है और महिलायें भौतिक क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं, लेकिन सामाजिक एवं मानसिक रूप से अभी भी वहीं हैं। महिलाओं की समस्याओं पर विचार विमर्श करने

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 04, April 2026

एवं नई रणनीतियां बनाने के लिए वैश्विक स्तर पर सम्मेलन सम्पन्न हुए जो इस प्रकार हैं– (i) प्रथम विश्व महिला सम्मेलन– मैक्सिको, 1975 (ii) द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन– कोपेनहेगन, 1980 (iii) तृतीय विश्व महिला सम्मेलन–नैरोबी, 1985 (iv) पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन (पृथ्वी शिखर सम्मेलन)–रियोडिजेनेरियो, 1992 (iv) चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन–बीजिंग, 1995। महिलाओं को समानता के अधिकार देने एवं उनका विकास करने के लिए अन्य देशों के साथ भारत में भी विश्व महिला दिवस का आयोजन किया जाता है।

लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण में इन्टरनेट का उपयोग :– इन्टरनेट अक्सर सोशल मीडिया पर हैशटैग के निर्माण, प्रसार और उपयोग के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण का एक स्रोत रहा है। 20वीं सदी के उत्तरार्द्ध में इण्टरनेट की बढ़ती लोकप्रियता ने महिलाओं को खुद को सशक्त बनाने में कई साधन प्रदान किए। महिलाओं ने ऑनलाइन सक्रियता के लिये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्क साइटों का उपयोग करना शुरू कर दिया, ऑनलाइन सक्रियता के माध्यम से वे अभियान चलाकर और ''समानता के अधिकारो'' के लिए अपनी राय व्यक्त करके खुद को सशक्त बनाने में सक्षम हैं।

ब्लॉगिंग शैक्षिक महिला सशक्तिकरण के एक साधन के रूप में उभरी है। कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एन्जेल्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार जो मरीज अपनी बीमारी के बारे में पढ़ते और लिखते हैं वे अक्सर उन लोगों की तुलना में अधिक खुश और ज्यादा जानकार होते हैं। जो ऐसा नहीं करते, दूसरों के अनुभव पढ़कर मरीज खुद को अच्छे ढंग से शिक्षित कर सकते हैं, और अपने साथी ब्लॉगर्स द्वारा सुझायी गयी रणनीति को लागू कर सकते हैं।

ई–लर्निंग (Electronic Learning) की आसान पहुँच और सामर्थ्य के साथ महिलायें अपने घरों में आराम से अध्ययन कर सकती हैं। वे ऐसे कौशल रखती हैं जो उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। सतत विकास लक्ष्यों के समूह (17 लक्ष्य) में से 5वाँ लक्ष्य महिलाओं और लड़कियों को विभिन्न प्रकार के अवसरों (स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार आदि) तक समान पहुँच के माध्यम से लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने पर केन्द्रित है।

निष्कर्ष :– विकसित भारत एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है ; जो भारत की उपलब्धियों, प्रतिबद्धता और भविष्य की आकांक्षाओं का प्रतीक है। इस पहल के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की दूरी को कम करना, और लोगों में जागरूकता व समानता तथा सशक्तिकरण की भावना को प्रोत्साहित करना है। शिक्षा मनुष्य की आरम्भिक आवश्यकता है। शिक्षा का परिवार से सामाजिक और आर्थिक स्तर से करीबी का रिश्ता है। शिक्षा लड़कों की तरह लड़कियों को भी दी जानी चाहिए। नारी शिक्षा का अभाव ही नारी समस्याओं का मूल कारण है, वास्तव में अंधकार स्वयं कुछ न होकर आलोक का अभाव है। नारी को विवेकशील, विचारवान एवं चेतनाशील होना चाहिए। शिक्षा वयस्क जीवन के प्रति महिलाओं के विकास के लिए एक आधार के रूप में विशेष रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिला यदि शिक्षित होगी तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी रहेगी। जिसके परिणाम स्वरूप घर एवं समाज का कोई भी सदस्य उन्हें प्रताड़ित करने के पहले विचार करेगा अर्थात् महिलाओं की शिक्षा, जागरूकता और आत्मविश्वास ही उन्हें सफल बनाएगी। शिक्षा के द्वारा ही समाज में लैंगिक समानता प्राप्त की जा सकती है। लक्ष्य–5 को प्राप्त करने में शिक्षा की मुख्य भूमिका होती है। महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 04, April 2026

महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी होगी। महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए महिला और पुरूष को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना एक स्वस्थ समाज के सभी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। महिला और पुरूष के बीच भेदभाव समाप्त होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार देश में जाति, धर्म, लिंग, सम्प्रदाय आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए ; किन्तु क्या ऐसा किया जा रहा है? यही एक सच्ची हकीकत है, इसलिए महिलाओं में सशक्तिकरण व विकास की आवश्यकता है।

वास्तविकता यह है कि हमारे समाज में स्त्रियों की आर्थिक परतंत्रता और धार्मिक अंधविश्वास लैंगिक विषमता का मुख्य कारण रहे हैं। विभिन्न विकास कार्यक्रमों की सहायता से जैसे–जैसे महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी तथा शिक्षा के प्रभाव से तार्किक विचारों में वृद्धि होगी, महिला पुरूष के भेदभाव की समस्या का अपने आप समाधान होता जाएगा। इसलिए महिलाओं को जागरूक करना अत्यन्त आवश्यक है। महिलाएँ हमारी समाज की धुरी हैं। एक पुरूष जितना महत्वपूर्ण है, एक महिला भी उतना महत्वपूर्ण है। महिलाओं के श्रम एवं प्रयासों से समाज की भलाई होती है। इस पुरूष प्रधान देश में नारी शक्ति को मुख्य धारा से जोड़े बिना विकास सम्भव नहीं है। नारी सशक्त होने पर ही हम देश और समाज के उज्जवल भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, एक सशक्त नारी के कंधों पर ही संतुलित, स्वस्थ विकसित समाज की नींव रखी जा सकती है।

विकसित भारत 2047 का संकल्प एक ऐसे भविष्य की ओर संकेत करता है, जिसमें हर भारतीय के पास समान अवसर होंगे और वे एक अच्छा जीवन जी सकेंगे। इसके लिये हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरन्तर सुधार करना होगा। ये हमारे सभी नागरिकों के लिये एक संयुक्त प्रयास होगा, जिससे हम एक समृद्ध, सुरक्षित और समावेशी भारत का निर्माण कर सकें।

<u>सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–</u>

1. सिंह, अनुपम : 'महिला सशक्तिकरण के अधिनियम का सामाजिक शोध', अप्रकाशित शोध का प्रबन्ध, समाजशास्त्र, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, 2011
2. अंसारी, एम0ए0 : 'महिला एवं मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2003
3. अग्रवाल, जी0सी0 : 'भारत में नारी शिक्षा' विद्या विहार, नई दिल्ली, 1998
4. त्रिपाठी, आर0सी0 : घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम–2005
5. अग्रवाल, जी0के0 : 'भारतीय समाज : मुद्दे एवं समस्यायें' एस0बी0पी0डी0 प्रकाशन हाउस, आगरा (2001)
6. सिंह एवं मल्होत्रा, : 'समकालीन भारतीय समाज और संस्कृति', भारतीय विद्या भवन, वाराणसी
7. माथुर, सावित्री एवं जैन, मोनिका : ''आधुनिक समाज में महिलायें, समस्यायें एवं समाधान, आस्था प्रकाशन, जयपुर, 2010
8. मेहता, चेतन : 'महिला एवं कानून', आशीष प्रकाशन हाउस, नई दिल्ली
9. बसु, डी0के0 एण्ड आर सिंसन : 'इकोनॉमिक एण्ड सोशल डेवलपमेण्ट इन इण्डिया', नई दिल्ली, 1986
10. व्यास, आशुतोष : 'लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण', हिन्दी बुक सेन्टर, नई दिल्ली, 2014

RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 04, April 2026

11. नैला : 'लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण : 21वीं सदी का विकास लक्ष्य, एक महत्वपूर्ण विश्लेषण'

12. मोसडेल, सारा : 'महिला सशक्तिकरण का आंकलन : एक वैज्ञानिक ढांचे की ओर' व्यक्तिगत विकास की पत्रिका / 17(2) / ISSN 1099-1328, 2005.

13. वेब सर्च

(i) https://www.cheggindia.com/hi

(ii) https://www.unsdg.uni.org/2030-agenda/universal-values-gender-equality-and-women empowerment

(iii) https://www.slidesharenet.net/slideshow/ss

(iv) https://www.cleartax.in/s/viksitbharat-2047

14. समाचार पत्र–

(i) दैनिक जागरण–2023

(ii) पत्रिका–समाज कल्याण 'मानवाधिकार एवं महिला सशक्तिकरण : 2005'

© RESEARCH WORK JOURNAL (www.researchwork.ijarms.org)